न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 104/2025 G.C.M.S. No. 2025/568 दर्ज दिनांक : 26.08.2025

अपीलार्थी:

1. हरलाल पुत्र कानाराम, जाति विश्नोई, निवासी जालेरी, तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सायरी पत्नि जोराराम, जाति जाट, निवासी 154, भोटड़ो का बास, ग्राम लालकी, तहसील रोहट व जिला पाली।

प्रफोर्मा रेस्पोंडेंट्स:–

2. कपिल चौधरी पुत्र पप्पाराम, जाति जाट, निवासी लालकी, तहसील रोहट व जिला पाली।
3. शांतिदेवी पुत्री पप्पाराम, जाति जाट, निवासी लालकी, तहसील रोहट व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 103/2025 बअनवान सायरी बनाम हरलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 23.07.2025

पैरोकार–

1. श्री सी.पी. सिंघानिया, श्री रेवतसिंह केसरिया, श्री जगदीशसिंह राजपुरोहित, श्री पदमसिंह केसरिया, श्री दिलीप प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांक: 20.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 103/2025 बअनवान सायरी बनाम हरलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 23.07.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट सख्या 1 सायरी ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251ए रा०का०अधि० अधीनस्थ न्यायालय में रास्ता दिलाने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा सख्या 154 रकबा 4.5568 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता जो मौके पर ग्राम लालकी से कलाली जाने वाली डामर सडक के पश्चिम दिशा में स्थित अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सख्या 156/2 रकबा 3.2375 हैक्टेयर की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे एंव अप्राथी सख्या 02 व 03 की खातेदारी भूमि खसरा सख्या 165/4 रकबा 9.2268 हैक्टेयर पूर्व माठ के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सहारे सहारे 12 फीट चौडा रास्ता स लग्न नजरी नक्शा लाल रंग से दर्शित भाग ए से बी अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा सख्या 165/3 रकबा 3.9902 हैक्टेयर में कृषि कार्य हेतु आने जाने का अर्से दराज से पूर्व से मौके पर विद्यमान रास्ता दिलाये जाने का अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने कोर्ट प्रक्रिया को विधिक रूप से पूर्ण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व नजदिकी रास्ता जिस खसरे से तय होता हैं उसी से रास्ता दिया जाना न्यायोचित था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं करके आलोच्य निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट को किसी प्रकार का नोटिस जारी नही किया गया और न ही तहसीलदार मौके पर आया और न ही किसी प्रकार की सूचना नही दी गई तथा अपीलान्ट/अप्रार्थी की अनुपस्थिति लगाकर मौका फर्द तैयार की गई जबकि उक्त मौका फर्द के अनुसार अपीलान्ट के खसरे से रास्ता जारी कर निर्णय अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन ओदश में अपीलान्ट के खसरा सख्या 156/2 व खसरा सख्या 165/4 से रास्ता हेतु भूमि का निर्णय किया गया जबकि प्रार्थीगण/रेस्पोंडेंट की खसरा सख्या 165/3 में रास्ते हेतु दूसरे खसरे से नाप किये जाये तो खसरा सख्या 162/1 का नाप बहूत ही नजदीक से हैं जबकि तहसीलदार मौका फर्द में आस पडौस के खसरों से मिलने वाले रास्ते का मौका फर्द में किसी प्रकार का हवाला नही दिया तहसीलदार ने अन्य खसरों का नाप भी नहीं किया तथा दोनों रास्तों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात ही निर्णय पारित करना न्यायोचित था विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि जो रास्ता नजदीक हो उसे ही स्वीकृत किया जाना न्यायोचित एंव विधि सम्मत हैं लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं करके रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी के कहने पर आलोच्य निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा ग्राम कलाली तहसील रोहट में स्थित अपनी खातेदारी आराजी 165/3 तक पहुंच के लिए रास्ते हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.07.2025 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट अप्रार्थी द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया द्वारा अपनी आराजी खसरा संख्या 165/3 के लिए रास्ते की मांग की गई हैं। खसरा संख्या 156/2 अपीलांट की आराजी हैं तथा 165/4 रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 की सहखातेदारी आराजी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 156/2 व 165/4 में से रास्ता स्वीकृत किया गया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित भू.अ.नि व पटवारी द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में केवल एक ही विकल्प प्रस्तावित किया गया है। जो प्रार्थिया की मांग अनुरूप खसरा संख्या 156/2 व 165/4 में से प्रस्तावित किया गया है। उक्त विकल्प के अलावा अन्य कोई विकल्प प्रस्तावित नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्य कोई विकल्प विचारार्थ प्रस्तावित था एवं न ही निकटतम दूरी के विकल्प के चयन के संबंध में कोई विकल्प उपस्थित था। भू.अ.नि के लिए यह आवश्यक है कि वह मौके व रिकॉर्ड की जांच कर प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करें। ताकि न्यायालय निकटतम दूरी के विकल्प का चयन कर सकें। हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव पाया गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इस पर कोई गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

4. पत्रावली पर उपलब्ध भू–नक्शा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रार्थिया की आराजी खसरा संख्या 165/3 तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 157 की पश्चिमी सीमा व खसरा संख्या 165/4 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे, खसरा संख्या 162/1 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा के सहारे, खसरा संख्या 165/4 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे कुल तीन विकल्प उपलब्ध है। जिनके संबंध में संबंधित भू.अ.नि. द्वारा कोई जांच नहीं की गई एवं न ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 103/2025 बअनवान सायरी बनाम हरलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 23.07.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 30.03.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी रोहट में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner